सत्यमेव जयते

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

भारत सरकार Government of India

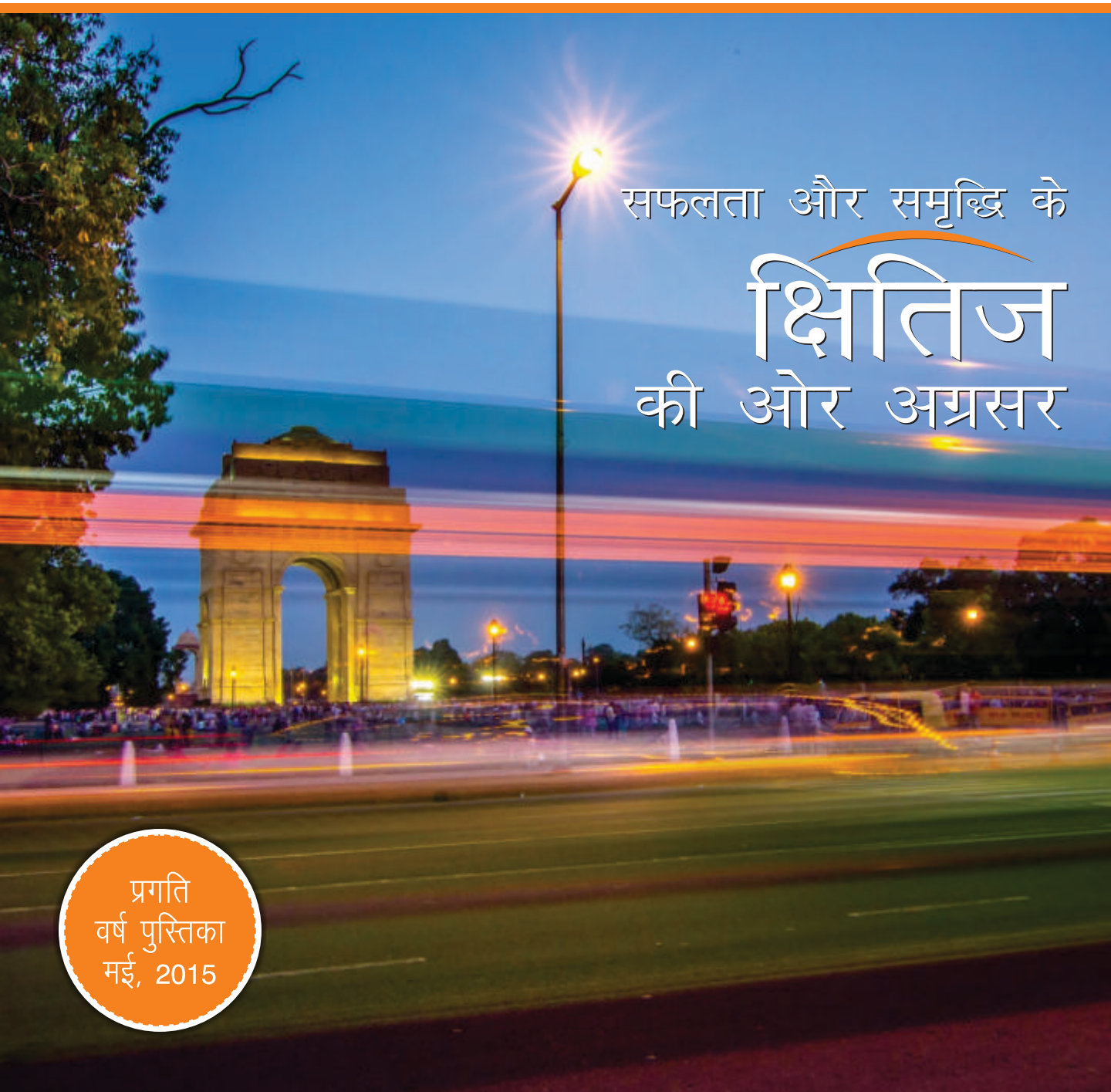

सफलता और समृद्धि के क्षितिज की ओर अग्रसर

प्रगति
वर्ष पुस्तिका
मई, 2015

''आइए हम आगे ही आगे बढ़ते चलें''

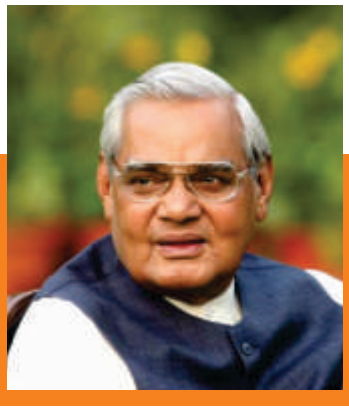

आओ सशक्त भारत के निर्माण के लिए हम अपने दिलों में राष्ट्र भाव भर कर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हों। यह आराम का समय नहीं है, यह विचलित होने का समय नहीं है। आओ हम आगे ही आगे बढ़ते चलें जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न कर लें।

अटल बिहारी वाजपेयी
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री

संदेश

श्री नितिन जयराम गड़करी
सड़क परिवहन और
राजमार्ग तथा पोत मंत्री

पिछले वर्ष मई में जब हमने कार्यग्रहण किया, उस समय राजमार्ग क्षेत्र आत्मविश्वास की समस्या का सामना कर रहा था और सभी स्टेक–होल्डर पूर्ण रूप से अव्यवस्थित थे।

एक वर्ष के बाद हम रफ्तार पकड़ने में कामयाब हुये हैं और हमारे सामूहिक प्रयास से निःसंदेह ही राष्ट्र निर्माण में योगदान प्राप्त हुआ है। हमारे एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, ठप पड़ी, विलंबित और निरस्त परियोजनाओं का पुनरूद्धार करने के लिए स्वीकृत हमारी प्राथमिकता के संबंध में सफलता की गाथा है। निजी क्षेत्र ने एक बार और अवसंरचना में अपनी उत्कट्ट अभिरूचि व्यक्त की है। यही एक प्रमुख कायाकल्प है जिसे हम एक वर्ष में सृजित करने के योग्य हो पाये हैं।

यह वर्ष सड़क और राजमार्ग क्षेत्र के लिए अनिवार्यतः सही शिलान्यास किये जाने का वर्ष रहा है। मैंने स्वयं दो वर्षों की अवधि के भीतर 30 किमी प्रतिदिन के हिसाब से राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। यूपीए शासन के दौरान जो गति 3 किमी प्रतिदिन थी, से बढ़कर हम 13 किमी प्रतिदिन की दर से 400% की उछाल प्राप्त कर चुके हैं। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। हम सही दिशा में जा रहे हैं। मेरे समर्पित अधिकारियों के दल और अन्य दक्षता प्राप्त मानव संसाधन में मेरा पूरा भरोसा है। हम अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि उससे और आगे जा सकते हैं।

हम पुराने मोटर यान अधिनियम, 1988 के स्थान पर नया 'सड़क परिवहन और सुरक्षा' विधान शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। मसौदा अधिनियम सभी स्टेकहोल्डरों के विचारार्थ पहले से ही उपलब्ध है। मैं निष्ठापूर्वक आशा करता हूं कि मंत्रिमंडल अनुमोदन के पश्चात आगामी सत्र में संसद के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन में कार्यकुशलता और पारदर्शिता हमारे शासन का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में ई–फालोविंग, ई–भुगतान, डीडब्ल्यूसी/ओडीसी अनुमोदन जैसी अनेक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ई–गवर्नेंस पहलें शुरू की गई हैं।

सड़क दुर्घटनाएं हमारी प्रमुख चिंता का विषय हैं। सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाना और घायलों को समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना हमारी उच्च प्राथमिकता है। हम 1033 नंबर की 24X7 निःशुल्क सेवा शुरू कर रहे हैं। कड़े उपबंध–अतिभारित वाहनों से फीस का 10 गुणा शुल्क का उदग्रहण करना, निर्धारित मात्रा से अधिक भार लदाई को रोकने के लिए वे–इन–मोशन सिस्टम की स्थापना विचाराधीन है। हमने ब्लैक स्पॉटों का अध्ययन शुरू कर दिया है। कम्प्यूटर आधारित ड्राइविंग परीक्षण सिस्टम प्रचलन में है और ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर का इस्तेमाल कर रहे वैज्ञानिक यातयात सर्वेक्षण और क्लासिफायर सिस्टमों को मूर्त रूप दे दिया गया है।

निरंतर संवहन के लिए हमने आरएफआईडी आधारित इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन सिस्टम 'फास्ट–टैग' शुरू किया है। अवसंरचना और माल प्रदाता 'इनाम–प्रो' के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म शुरू किया गया है। इस पुस्तिका में कई अन्य पहलों और उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया गया है। हम राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सड़क प्रयोक्ताओं के लिए विश्व स्तरीय सुख–सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। हमने सड़क और राजमार्ग प्रयोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं और इसका परिणाम अत्यंत उत्साहवर्द्धक रहा है। अवसंरचना क्षेत्र, किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है और मैं प्रायः जॉन एफ. कनेडी का उद्धरण कोट करता हूं–'अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं कि अमेरिका धनी है, बल्कि अमेरिका इसलिए धनी है कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं'।

मैंने जीडीपी विकास दर में 2% का योगदान करने हेतु अपने मंत्रालय के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे विश्वास है कि अपने दिव्य–दर्शक प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की सक्रिय अगुवाई में और सभी स्टेकहोल्डरों की मदद से हम लोगों की प्रत्याशाओं पर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। एक वर्ष का समय बहुत ही अल्प अवधि होती है परन्तु 12 महीने के समय में हमने अपने 25% लक्ष्य कवर कर लिये हैं। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम सभी बिना थके काम करते आ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने 100% से अधिक प्रयास करेंगे। हमने निश्चित रूप से वादों को पूरा करने में सक्रिय शुरूआत कर दी है और हम भारत को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने के अपने मिशन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नितिन गडकरी

नितिन जयराम गडकरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

भारतीय राजमार्ग

समग्र चित्रण

भारतीय राजमार्गों का परिदृश्य

राजमार्ग क्षेत्र– मौजूदा अवसंरचना अंतराल और वर्धित परिवहन आवश्यकताओं की वजह से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिक। पूरी की हुई राजमार्ग परियोजना का अर्थव्यवस्था पर बहुगुणक प्रभाव पड़ता है।

भारतीय राजमार्ग– समग्र चित्रण

क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क–4.87 मिलियन किमी

ख राष्ट्रीय राजमार्ग का 97,135 किमी

ग राष्ट्रीय राजमार्ग 2% है परन्तु यातायात का 40% संवहन होता है।

घ 65% भाड़ा और 80% यात्री यातायात सड़कों से किया जाता है।

ङ वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन प्रमुख कार्यक्रम:-

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 54,478 किमी
- एसएआरडीपी–एनई (पूर्वोत्तर के लिए विशेष कार्यक्रम) 10,141 किमी
- एलडब्लयूई (वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र) 5,477 किमी

च. सीमा और अन्य सामरिक स्थानों की परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ, राज्यीय लोक निर्माण विभाग इत्यादिः

- 2014-15 में ठेके पर दिए गए राजमार्ग की लंबाई -7980 किमी
- 2014-15 में पूरे किए गए राजमार्ग की लंबाई-4410 किमी

भारत में राजमार्गों के लिए परियोजना कार्यान्वयन की विधियाँ

क निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण (बीओटी)–टोल

ख बीओटी–वार्षिकी

ग हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल

(उपर्युक्त तीनों पीपीपी किस्म की हैं)

घ इंजीनियरी, प्रापण और निर्माण (ईपीसी)– लोक वित्त पोषित

हाल ही की नीतिगत पहलें

परियोजनाओं की सुपुदर्गी की विधि–परियोजनाओं की सुपुदर्गी की विधि पीपीपी/ईपीसी पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्राधिकृत।

- परियोजना अनुमोदन के लिए संवर्धित अवसीमा–सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पीपीपी और ईपीसी दोनों विषयों के लिए पूर्ववर्ती 500 करोड़ रुपए के स्थान पर 1000 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकृत है।

- संवर्द्धित अंतरमंत्रालयी समन्वयन –अंतरमंत्रालयी मुद्दों का समाधान करने के लिए माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के पर्यवेक्षण में एक अवसंरचना ग्रुप का सृजन किया गया है। वन और पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे और रक्षा से संबंधित अधिकांश मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।

- आदर्श रियायत करार (एमसीए) में संशोधनः– मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ऐसे परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत की गई है। परिवर्तन एनविल पर आधारित है।

- बहिर्गमन नीतिः– मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति निवेशकों को सभी प्रचालनरत बीओटी परियोजनाओं से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से दो वर्षों में अपनी समग्र इक्विटी निकाल लेने और बाहर जाने के लिए अनुमति दे दी है।

- पिछड़ रही परियोजनाओं का पुनरूद्धार–मंत्रिमंडल ने हाल ही में बीओटी परियोजनाएं, जो निर्माण चरण में पिछड़ रही हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एकबारगी निधि निवेश के मार्फत बीओटी परियोजनाओं के पुनरूद्धार की अनुमति दी है जो कि संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्रत्येक मामले के आधार पर ऐसी परियोजनाओं के पर्याप्त विधिवत उद्यम के अध्यधीन हैं।

मॉडल का परिदृश्य

हाईब्रिड एन्यूटी माडल

क सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाईब्रिड एन्यूटी माडल जैसे अभिनव परियोजना कार्यान्वयन माडल को प्रोत्साहित कर रहा है।

ख यह मॉडल सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर कार्यान्वित किमी की संख्या को अधिकतम करने के संबंध में राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया है।

ग निविदा मानक लाईफ साइकिल लागत अर्थात (समग्र ओएंडएम अवधि के लिए ओएंडएम लागत का एनपीवी+कोट किए गए निविदा परियोजना लागत का एनपीवी) होता है।

घ रियायतग्राही निर्माण अवधि के दौरान 'निर्माण सहायता' के रूप में प्राधिकरण से परियोजना लागत का 40% भाग प्राप्त करता है।

ङ रियायतग्राही प्रचालन अवधि की समाप्ति (15 वर्ष) पर परियोजना के डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण (परियोजना लागत का 60%), प्रचालन और हस्तांतरण के लिए जिम्मेवार है।

च निर्माण अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा वित्त पोषित राशि, प्राधिकरण से शेष राशि को घटाने के तरीके पर (@बैंक दर +x%) ब्याज के भुगतान सहित वार्षिकी भुगतान के माध्यम से वसूल की जाती है।

छ ओ एण्ड एम भुगतानों के लिए पृथक प्रावधानों से ओ एण्ड एम के लिए रियायतग्राही जिम्मेवार है।

ज समायोजित परियोजना लागत समयोपरि के लिए प्रावधान मौजूद है।

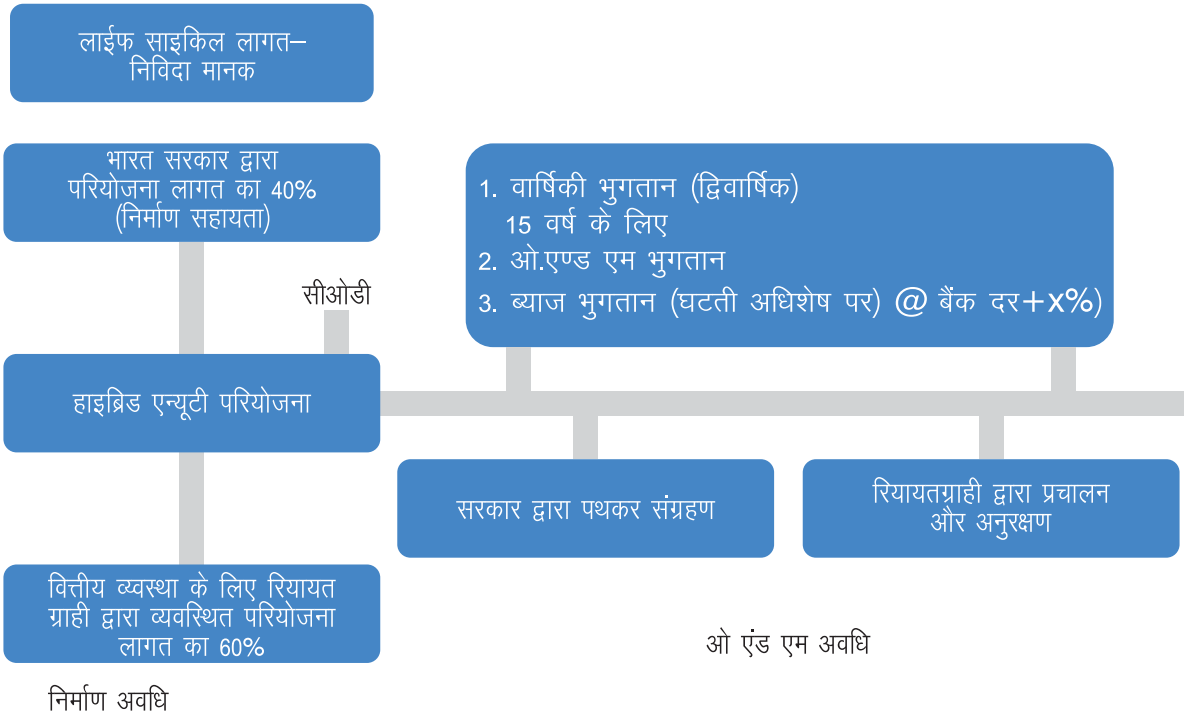

हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल

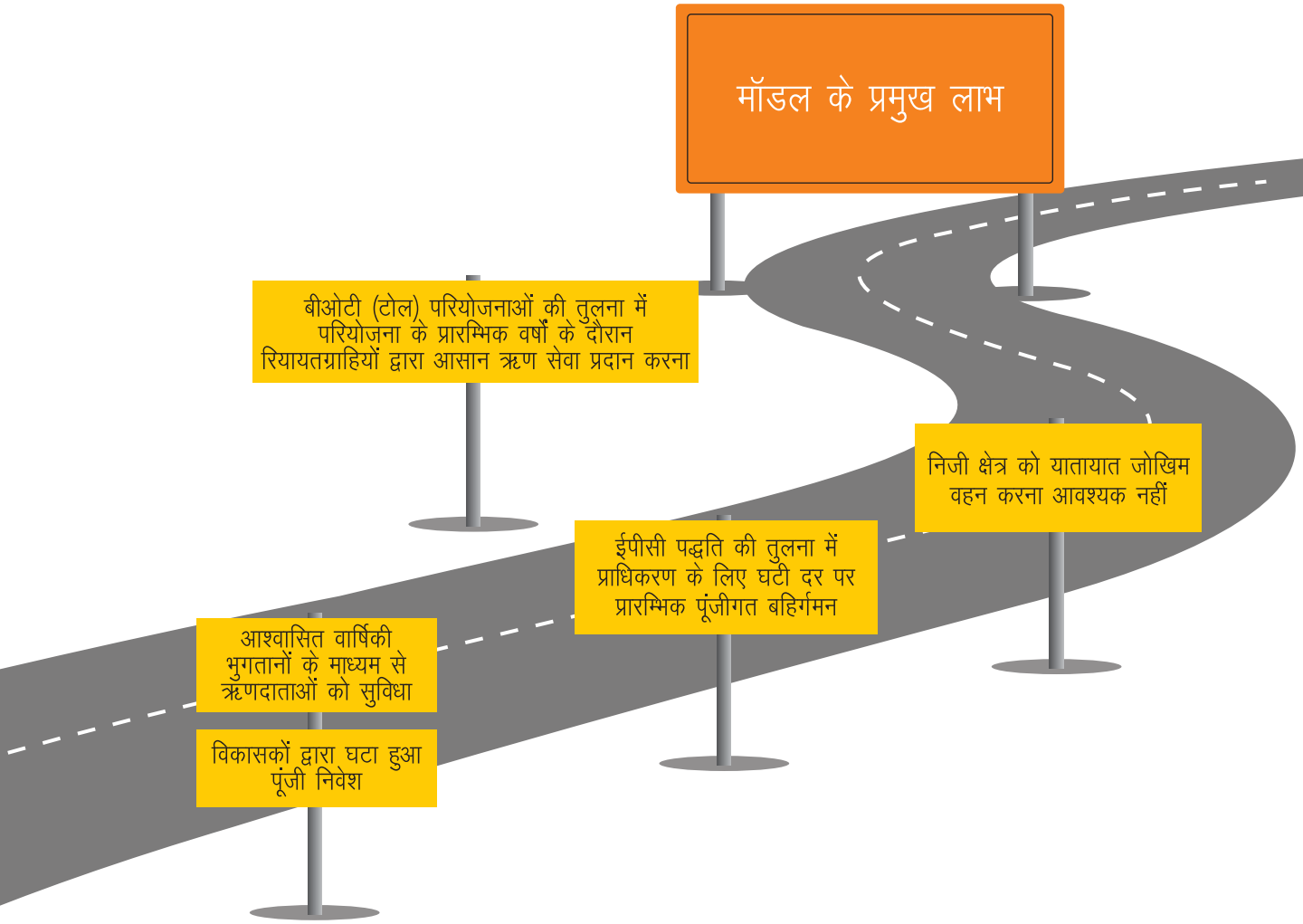

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अधिमानित प्रणाली

हाल ही में, देश के राजमार्ग क्षेत्र को परियोजना सड़क खंडों, विशेष रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्यान्वयन और ठेका देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसा समग्र आर्थिक मंदी और क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों के कारण हुआ है। मंत्रालय द्वारा स्टेकहोल्डरों के परामर्शन से क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों के समाधान और उनकी पहचान हेतु प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन यह सत्य है कि इस क्षेत्र को पटरी पर वापिस लाने के लिए बाजार में इक्विटी उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक होगी।

वस्तुतः संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन अधिमानित प्रणाली के रूप में कार्यान्वयन के ईपीसी मोड अथवा सार्वजनिक वित्त पोषित प्रणाली का अनुसरण करना तभी से विवेकपूर्ण माना जाने लगा। परिणामस्वरूप, जब परियोजनाओं को ठेके पर देने के कार्य में वृद्धि होगी, राजमार्ग निर्माण क्षेत्र अपने खोये हुए संवेग को पुनः प्राप्त कर लेगा और महत्वपूर्ण यह है कि इस क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह संवर्धित विधि से उपलब्ध होगा। बाजार की परिपक्वता और स्थायित्व के कतिपय स्तर पर पहुंच जाने के पश्चात जिस प्रकार निजी क्षेत्र के विश्वास को आत्मविश्वास हासिल हो जाता है, हम भी धीरे–धीरे पीपीपी मोड, विशेष रूप से कार्यान्वयन की अधिमानित प्रणाली के रूप में बीओटी (टोल) मोड के मार्ग पर आ सकते हैं।

उपर्युक्त नीति का अनुसरण करते हुए मंत्रालय ने 2014–15 के दौरान 7980 किमी के कार्य का ठेका दिया जोकि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2013–14 की 3621 किमी लम्बाई के दोगुने से अधिक है और वस्तुतः 2012–13 के दौरान सौंपी गई 1916 किमी लम्बाई से अधिक है। तथापि, 7980 किमी में से बीओटी आधार पर केवल 734 किमी कार्य का ही ठेका दिया गया था।

वर्ष के दौरान ठेके पर दिये गये 7980 किमी के कार्य समूचे देश में फैले हुए हैं और ये ठेके राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशिष्ट त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी–एनई), वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्लयूई) में सड़कों का विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल कार्य) स्कीमों के अंतर्गत दिये गये थे।

मंत्रालय की मंशा इसी गति से ठेके देने की है ताकि देश में त्वरित सड़क विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाथ में पर्याप्त कार्य हों।

for Efficient
on 7th & 8th
All India Transporters Welfare Asso.
ALL INDIA TRANSPORTERS WELFARE A

सुशासन

SPONSORS
GOLD
Seminar
ting Engine
es in Infr
28-29 N
ORGANISER

डिजिटल इंडिया -ई-गवर्नेंस

ठप पड़ी परियोजनाओं का पुनरूद्धार करना

अंतरमंत्रालयी मुद्दों का समाधान करना

टोल प्लाजाओं के साथ सीमा चौकियों को एकीकृत करना

इलेक्ट्रोनिक पथकर संग्रहण (ईटीसी)

स्वच्छ भारत अभियान

सड़क किनारे सुख–सुविधाएं

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत) की अध्यक्षता में सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत मंत्रालयों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का लाभ उठाकर प्रक्रियाओं के सरलीकरण के संबंध में एक कार्य बल का गठन किया गया है। कार्य बल के गठन में अन्य के साथ–साथ श्री टी. वी. मोहनदास पाई, श्री गिरीश श्रीवास्तव, श्री प्रशांत पॉल, श्री अभिजीत देसाई, श्री विनीत गोयंका जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विशेषज्ञ जगत के सदस्य शामिल हैं।

ई–गवर्नेंस

ई–गवर्नेंस पहलें

मंत्रालय की ई–गवर्नेंस पहल में निम्नलिखित शामिल हैं:–

तकनीकी के माध्यम से गवर्नेंस में सुधार– इसमें ई–टेंडरिंग, इलैक्ट्रोनिक टोल संग्रहण (ईटीसी), राष्ट्रीय राजमार्ग टोल सूचना प्रणाली (एनएचटीआईएस), एकीकृत वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस योजना, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, एंटरप्राइज रिसोर्स (ईआरपी) सोल्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस), ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर एंड क्लासीफायर सिस्टम, वे–इन–मोशन (डब्लयूआईएम) सिस्टम और ऑटोमैटिक व्हीकल काउंटर एंड क्लासीफायर (एवीसीसी) सिस्टम शामिल हैं।

ई–क्रान्ति – सेवाओं की इलेक्ट्रोनिक डिलिवरी: इसमें 'फास्ट टैग' आधारित इलेक्ट्रोनिक पथकर संग्रहण प्रणाली, ऑनलाईन बिलों का भुगतान, ओवरवेट कार्गो (ओडब्ल्यूसी), ओवर डाइमेंशनल कार्गो (ओडीसी) शामिल हैं।

सभी के लिए सूचना: इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग टोल सूचना सिस्टम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए 24x7 'हेल्पलाइन', सड़क और राजमार्ग सूचना प्रणाली, ई–राजमार्ग समाचार पत्र शामिल हैं।

यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाईल कनेक्टिविटी: इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ–साथ टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

अन्य: इसमें ई–समीक्षा, ई–ऑफिस (कागज रहित कार्यालय), मंत्रालय की वेबसाइट में सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा विधियों का सरलीकरण शामिल हैं।

- इलैक्ट्रोनिक पथकर संग्रहण (ईटीसी)– देश के सभी प्रचालनरत टोल प्लाजाओं में स्वचालित वाहन काउंटर एंड क्लासीफायर (एवीसीसी), वे–इन–मोशन (डब्ल्यूआईएन), सीसीटीवी और स्टेटिक वे–ब्रिज सुविधाओं सहित इलैक्ट्रोनिक टोल संग्रहण का कार्य प्रगति पर है। 31.10.2014 को दिल्ली–मुम्बई राजमार्ग के लिए 'फास्टैग' कार्यक्रम का शुभारम्भ कर दिया गया है।

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यधीन राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गो के टोल प्लाजाओं से संबंधित जनहित की सूचनाएं सड़क प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए एक वेब पोर्टल www.nhtis.org का शुभारंभ किया गया। इसमें टोल प्लाजा पर वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू प्रयोक्ता शुल्क दरें शामिल हैं।

- क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पहले ही बिल प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम हेतु एक ऑनलाइन वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है। कोई भी नागरिक बिलों की स्थिति जान सकता है।

- ब्रिज डिजाइन सेलः भारतीय राजामर्ग अभियंता अकादमी, नोएडा में एक ब्रिज डिजाइन सेल की स्थापना की गई है जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन द्वारा 20 फरवरी, 2015 को किया गया था और इसमें सड़कों व पुलों के डिजाइन हेतु आधुनिकतम सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं।

- ओवरवेट कार्गो (ओडब्ल्यूसी) ओवर–डाइमेंशनल कार्गो (ओडीसी) के लिए वेब युक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अप्रूवल सिस्टम पहले ही दिया जा चुका है।

- हाल ही में, माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का ई–राजमार्ग नामक ई–समाचार पत्र आरंभ किया गया है।

- प्रक्रिया का सरलीकरण–सीएमवीआर के रूप में पर्याप्त संख्या में फार्म निर्धारित किए गए हैं। अन्य बातों के साथ–साथ ड्राफ्ट रोड ट्रांस्पोर्ट एंड सेफ्टी बिल–2015 इस पहलू का भी समाधान करता है।

- अभिलेखों का डिजिटाइजेशन – मंत्रालय के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है।

- फाइलों की रिकॉर्डिंग और समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई है और लगभग 4760 फाइलें रिकॉर्ड की गई हैं तथा 5718 फाइलें नष्ट की गई हैं।

- मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन राष्ट्रीय परमिट जारी करने की शुरूआत की गई है।

- वाहनों पर अधिक भार लादने से न केवल उन राजमार्गों और सड़कों के आर्थिक पक्ष की हानि होती है जिन पर यांत्रिक वाहन चलते हैं बल्कि इससे बड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी उठते हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 और राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियम, 2008 के संगत प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजाओं पर एवीसीसी सिस्टम के साथ वे–इन–मोशन ब्रिज संस्थापित किए जाएंगे।

❖ ई–पीएसीई (परियोजना मूल्यांकन एवं सतत संवर्धन)

❖ ई–पीएसीई (परियोजना मूल्यांकन एवं सतत संवर्धन) बटन के क्लिक करने पर कार्यों की निगरानी करने और प्रगति के सुधार करने वाला एक ऑन लाइन उपकरण है।

❖ यह पहल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एनएचआईडीसीएल द्वारा कार्यान्वित सभी परियोजनाओं के लिए स्तर और गतिशील सूचना प्रग्रहण करती है। प्रग्रहित सूचना परियोजनाओं के समूचे जीवनचक्र, संक्रमण काल से लेकर इसके पूरा होने तक से संबंधित होती है।

❖ इस प्रणाली में रोल आधारित अभिगम है और इसमें परियोजना सूचना प्रग्रहण करने की सुविधा होगी तथा इससे परियोजनाओं की गति में वृद्धि करने तथा निगरानी करने में मदद मिलेगी।

❖ इस उपकरण से मासिक/वार्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए निरीक्षणात्मक स्तर प्राप्त होंगे और यह वास्तविक समय में सूचना अद्यतन करने के लिए क्षेत्रीय एककों/कर्मचारियों को सक्षम बनाएगा।

❖ अब तक 1500 से अधिक प्रोजेक्ट डेटा प्रविष्ट किये जा चुके हैं । जब एक बार डेटा अपनी समग्रता में प्रग्रहित कर लिया जाएगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना उपलब्ध हो जाएगी । एमआईएस भी विभिन्न रूपों में हितधारियों को, जिस प्रकार की सूचना वे चाहते हैं, उस प्रकार की आवश्यक सूचना का चयन करने में सहायता प्रदान करेगी। यह शासकीय सूचना को मिलाने और तुलना करने के लिए क्लाउड सोर्सिंग, जिसमें परियोजना फोटोग्राफों/वीडियों को अपलोड किया जा सकता है, के माध्यम से 'ओवर द टॉप एप्लीकेशन' विकसित करने हेतु अग्रदूत भी होगी।

❖ उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) समाधान

❖ आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से विश्व बैंक तकनीकी सहायता (टीए) द्वारा वित्त पोषित अपने किस्म की यह पहली परियोजना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यान्वयनाधीन है और इससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने समग्र संगठनात्मक ढांचे और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करने का अवसर मिलेगा।

❖ इससे मुख्यायलयों, टोल प्लाजा के स्थानों, परियोजना कार्यान्वयन एककों (पीआईयू) और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच भी सम्पर्कता सुनिश्चित होगी।

❖ परिणामतः दोनों संगठन दक्ष अद्यतन प्रौद्योगिकी प्रचालन युक्त होंगे, जिससे देश को गुणवर्त्तापूर्ण सड़क ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से संवर्धित सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

इनाम–प्रो. – सीमेंट व्यवसायी समूहन की समाप्ति

माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 10.03.2015 को अवसंरचना तथा सामग्री प्रदाताओं के लिए एक प्लेटफार्म विशेष रूप से आपूर्तिकर्ता को सड़क ठेकेदारों/प्रयोक्ताओं से सीमेंट को जोड़ने के लिए इनाम प्रो. की शुरूआत की गई है।

- सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत मंत्री द्वारा 10.03.2015 को अवसंरचना तथा सामग्री प्रदाताओं के लिए एक प्लेमटफार्म विशेष रूप से आपूर्तिकर्ता को सड़क ठेकेदारों/प्रयोक्ताओं से सीमेंट को जोड़ने के लिए इनाम प्रो. की शुरूआत की गई है।

- इस पोर्टल से सीमेंट की आपूर्ति की निगरानी करने और भावी प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित सीमेंट निर्माताओं को आर्डर प्रस्तुत किए जाने में सुविधा होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा डिजाइन किए गए पोर्टल से स्कीम के अंतर्गत सीमेंट की आपूर्ति में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी जिससे सख्त पेवमेंट के निर्माण की लागत कम करने का लक्ष्य प्राप्त होगा।

- अवसंरचना और सामग्री प्रदाताओं के लिए 'आईएनएएम–पीआरओ' (अवसंरचना और सामग्री प्रदाताओं के लिए प्लेंटफार्म) एक वेब आधारित अनुप्रयोग (www.inampro.nic.in) है तथा यह अवसंरचना सामग्री प्रदाताओं, नामतः सीमेंट कम्पनियों, अवसंरचना प्रदाताओं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगा। इसके आरंभ होने से केंद्रीय/राज्यीय वित्त पोषित सड़कें और राजमार्ग/पुल परियोजनाओं के निष्पादन करने में प्रतिबद्ध ठेकेदार/सीमेंट क्रेताओं को परियोजना निष्पादन स्थान के समीप प्रतिस्पर्धी दर पर सीमेंट उपलब्ध करा रही पंजीकृत सीमेंट कम्पनियों के साथ ऑन लाइन ऑर्डर करने में सुगमता हो सकेगी।

- चूंकि सीमेंट स्वदेशी विनिर्मित उत्पाद है और बिटुमिन आयातित कच्चे तेल का उपोत्पाद है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सीमेंट का उपयोग 'मेक इन इंडिया' अभियान के संकल्प के दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

- इस प्लेटफार्म का लक्ष्य केवल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सामग्रियों की लागत को कम करने का ही नहीं है, बल्कि सभी स्टेकहोल्डरों के लिए प्रभावशाली उत्साहवर्धक स्थिति सृजन करने का भी है।

- सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, श्री विजय छिब्बड़ ने अपने संबोधन में कहा है कि इस पोर्टल से क्रेता–विक्रेता प्लेटफार्म बिना किसी मध्यस्थ के उपलब्ध होता है। उन्होंने आगे कहा कि सीमेंट उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने पर इस अभिनव व्यवस्था से फेक्ट्रियां अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगी।

- सीमेंट कम्पनियों को इस मंत्रालय की सहमति से तय किये गये मूल्यों पर पोर्टल पर प्रदान किये गये भंडारों को अद्यतन करना सुविधाजनक है। वे दिये गये ऑर्डर के बारे में तत्काल सूचना पाएंगे और बिना परेशानी एवं विलंब के, सीमेंट क्रेताओं द्वारा यथा अनुरोधित संवितरण अनुसूची को अनुमोदित कर पाएंगे। इससे सीमेंट कम्पनियों को अग्रिम रूप से अपने वार्षिक उत्पादन की योजना बनाने और बेहतर सुनिश्चितता के साथ संवितरण अनुसूची तैयार करने में भी मदद मिलेगी। सीमेंट कम्पनियों की बाजार की मांग के आधार पर सीमेंट के भंडार को बढ़ाने और मूल्यों को कम कर क्रेताओं को आकर्षित करने की भी सुविधा मिलेगी।

❖ इसके अतिरिक्त आईएनएएम–पीआरओ का प्रयोग करने वाली सीमेंट कम्पनियां ऑर्डर को ट्रेक करने, अत्यधिक उत्पादों (ग्रेड/किस्म) को जोड़ने, सीमेंट पेशकशों को जोड़ने, सूचीबद्ध क्रेताओं को देखने और मंत्रालय को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने में भी सक्षम होगी। ठीक इसी तरह क्रेता अलग–अलग कम्पनियों से प्रस्तुत ऑर्डरों को देखने और ट्रेक करने तथा अपने सुझाव/शिकायतें प्रस्तुत करने में भी सक्षम होंगे।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली
का राष्ट्र को समर्पण
DEDICATION OF
ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM
TO NATION
FASTag
Easy to Cruise
IHMCL
AXIS BANK

इलैक्ट्रोनिक पथकर संग्रहण (ईटीसी) को बढ़ावा देने हेतु किए गए उपाय

FASTag
Easy to Cruise

- मंत्रालय ने एक नई इलैक्ट्रोनिक पथकर संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली फास्टैग का शुभारम्भ किया है जो सड़क प्रयोक्ताओं को टोल प्लाजाओं पर बिना रूके इलैक्ट्रोनिक रूप से आवश्यक पथकर का भुगतान करने में सक्षम होगी।

- यह फास्टैग महामार्ग के साथ लगे एकल आरएफआईडी टैग के माध्यम से निरंतर यात्रा करना सुविधाजनक बनाएगा।

- 196 टोल प्लाजाओं में प्रत्येक दिशा में एक लेन में ईटीसी सिस्टम स्थापित कर दिया गया है और 302 प्लाजाओं में अक्टूबर, 2015 तक स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

- सरकार ने सभी नई राजमार्ग परियोजनाओं में ईटीसी लेन शामिल करना अनिवार्य बना दिया है।

- फास्टैग प्रयोक्ता वाहनों में विंडशील्ड पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) लगाया जाएगा। जिन प्लाजाओं में ईटीसी लेन होंगे, उन्हें फास्टैग लेन कहा जाएगा। इनमें पहचान के लिए कलर कोडिंग होगा । इन फास्टैग लेनों में रीडर्स फिट होंगे जो टैग में लगे युनीक नम्बर को पढ़ लेगे और वाहन की श्रेणी के अनुसार उपयुक्त राशि प्रयोक्ता के अकाउंट से स्वतः काट लेंगे।

- आरएफआईडी टैग से टोल प्लाजाओं पर प्रतीक्षा करने में व्यय होने वाले सड़क प्रयोक्ता के समय को कम करने में सहायता मिलेगी। इससे उनका कुल यात्रा समय भी घटेगा।

Ministry of Road Transport & Highways
Government of India
Inaugural event
road to safety
DIAGEO

परिवहन और सुरक्षा संबंधी पहलें

सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2014

Ministry of Road Transport & Highways, Government of India

http://morth.nic.in/index2.asp?slid=1479&sublinkid=932&lang=1

विजन

- देश में यात्रियों और मालवाहन के सुरक्षित, त्वरित, सस्ते आवागमन के लिए ढ़ांचा उपलब्ध कराना जिससे मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा।

2 लाख
सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में कमी के कारण प्रथम 5 वर्षों में जान बचाना

4% जीडीपी
सड़क परिवहन क्षेत्र वर्धित कार्य कुशलता और सुरक्षा के कारण सुधार

10 लाख
वर्धित निजी क्षेत्र की भागीदारी से सृजित होने वाले रोजगार

- सड़क सुरक्षा के लिए उच्च प्राथमिकता।

- दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार– प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस परियोजना का उद्देश्य 'स्वार्णिम समय' के दौरान तुरंत और उपयुक्त चिकित्सीय उपचार प्रदान करके दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाना है। इस परियोजना में दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना स्थल से अस्पताल और जहां कहीं आवश्यजक हो ले जाने, एक अस्पताल से सरकारी अथवा निजी अस्पताल तक उपचार के लिए पहुंचाने की परिकल्पना है । दुर्घटनाओं की सूचना देने के लिए निशुल्क 1033 नम्बर शुरू किया गया है। दुर्घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त करने, निकटतम एंबुलेंस को काम पर लगाने और स्थानीय पुलिस, अधिकारियों, अस्पतालों और सड़क सुरक्षा वालंटियरों को सतर्क करने के लिए एक 24x7 काल सेंटर स्थापित किया गया है । प्रायोगिक परियोजना के डाटा का प्रयोग सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार करने हेतु अखिल भारतीय स्तर की योजना तैयार करने के लिए किया जाएगा। फरवरी, 2015 तक लगभग 300 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सहायता प्रदान की गई है।

- देश में सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया निधि स्कीम)

- इस स्कीम का उद्देश्य राज्य के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक परिवहन और निजी परिवहन वाहनों के स्थान की निगरानी करके सार्वजनिक परिवहन में संकट पीड़ितों को न्यूनतम प्रत्युत्तर समय में तत्काल सहायता प्रदान करके सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। निर्भया निधि के अंतर्गत प्रस्तावित स्कीम में राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत स्कीम (राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा और ट्रैंकिग सिस्टम) और राज्य स्तर पर सार्वजनिक परिवहन वाहनों में घटनाओं की वीडियो रिकार्डिंग, आपातकालीन बटन, वाहन की स्थान–अवस्थिति की जीपीएस ट्रैंकिग के लिए (सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) स्थापित करने की परिकल्पना है। प्रथम चरण में यह देश के 13 से अधिक राज्यों अथवा दस लाख की आबादी वाले 32 शहरों को कवर करेगी। प्रस्तावित स्कीमें दो वर्षो की अवधि के भीतर कार्यान्वित की जानी हैं। इस परियोजना के सुकर कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी संस्था के साथ करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। यह स्कीम परियोजना तैयारीकरण के चरण में है।

- अत्यधिक दुर्घटना वाले राजमार्गों पर अभिज्ञात ब्लैक स्पोटों के तत्काल सुधारात्मक उपायों हेतु प्रयास जारी हैं।

- सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक, 2015 विकसित कर लिया गया है और सामान्य जन से सुझाव आमंत्रित करते हुए इसे वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिया गया था। प्रस्तावित विधेयक अब सरकार के विचार के अग्रिम चरण में है। प्रस्तावित विधेयक में सड़क सुरक्षा और सड़क परिवहन दोनों के लिए एक एकीकृत सोच है।

- **एकीकृत वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लासेंस प्रणाली**

- सरकार का लक्ष्य वाहन पंजीकरण और लाइसेंस के सुगम अभिगम और प्रक्रिया की प्रणाली आरंभ करने का है। तदनुसार सरकार ने वाहन पंजीकरण के लिए http:@vahan.nic.in और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए http:@sarthi.nic.in अनुप्रयोग विकसित किया है।

- अब समूचे देश में एनआईसी द्वारा वाहन पंजीकरण (वीएएचएएन) के लिए और ड्राइविंग लाइसेंसों (एसएआरएटीएचआई) के लिए कोर स्कीम/उत्पाद के 100% विस्तार का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इसके उपरांत डेटाबेस समेकित करने के लिए सभी राज्यों के लिए राज्य रजिस्टर (एसआर) और राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआर) संस्थापित किये गये थे।

- हाल ही में जुड़े एक राज्य को छोड़कर प्रायः 36 राज्यों/संघ राज्यों में सभी साइटें जुड़ गई हैं।

- 16 करोड़ से अधिक वाहन रिकॉर्ड और 6 करोड़ से अधिक लाइसेंस रिकॉर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर भंडार में उपलब्ध हैं।

- राज्य परिवहन विभागों, प्रवर्तन एजेंसियों को सभी ड्राइविंग लाइसेंसों (डीएलएस) पंजीकरण प्रमाण पत्रों (आरसी) के तुरंत सत्यापन को सुंदर बनाने के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर पर डेटा के

लिए अभिगम प्रदान कर दिया गया है और मोबाईल के माध्यम से उनके पंजीकृत नम्बर से एसएमएस भेजकर अंकीकृत डेटा को भी अभिगम्य बना दिया गया है।

- विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी एजेंसियों को समेकित परिवहन डेटाबेस (एनआर और एसआर) पर ऑनलाईन अभिगम की विशेष सुविधा प्रदान की गई है।

- एन आर और एस आर अनुप्रयोगों के आधार पर नागरिकों, व्यवसाय और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए ऑन लाइन अनुप्रयोग और सेवाएं रोल आऊट की गई हैं।

- नागरिक केंद्रिक अनुप्रयोग/सेवाएं नियमित आधार पर अन्य राज्यों को भी दी जा रही हैं। इन अनुप्रयोगों पर ई–भुगतान, एसएमएस संदेश, ओटीपी–आधारित अधिप्रमाणन इत्यादि जैसी विशेषताएं भी प्रदान की जाती हैं।

- अब नई पहल के अंतर्गत, सुगम सेवा, सुरक्षा, अनुरक्षणीयता प्रदान करने और एकीकृत, क्लाउड–क्षम सेवा संवितरण सुविधा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए आरटीओ–केंद्रिक वाहन और सारथी अनुप्रयोगों को केंद्रीकृत वेब–क्षम वास्तु के लिए अभिनवकृत किया जा रहा है।

- इस अनुप्रयोग को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमापी और संरूपी बनाये जाने हेतु डिजाइन किया गया है और इसमें सिंगल साइन ऑन, बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन, ई–भुगतान के लिए बहु विकल्प, एसएमएस संदेश, ओपन ऐपल, मोबाइल एप्स और ऐसी अन्य सुविधाओं जैसी विशेषताएं शामिल होंगी।

- मंत्रालय द्वारा भी समूचे देश के लिए एकल डेटाबेस का पूरा सेट रखने के संबंध में पुराने डेटा में प्रवेश करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के कदम उठाये गये हैं।

- **स्वचालित कैमरा आधारित ड्राइविंग परीक्षण प्रणाली**
  मंत्रालय ने देश भर में 23 से अधिक स्थानों पर ड्राइंविग प्रशिक्षण और अनुसंधान (आईडीटीआर) संस्थानों की स्थापना करके, जहां तक संभव हो उत्कृष्ट ढंग से ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने और सुरक्षित ड्राइंविग को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है।

- सड़क परिवहन, पुणे के केंद्रीय संस्थान में स्थापित आईडीटीआर का उदघाटन 01 नवम्बर, 2014 को माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत मंत्री द्वारा किया गया है।

- मानव हस्तक्षेप कम करने और ड्राइवरों की परीक्षण प्रक्रिया कठिन और पारदर्शी बनाने के लिए सीआईआरटी पुणे ने अभिनव ड्राइंविग परीक्षण प्रणाली (आईटीडीएस) नामक कैमरा आधारित स्वचालित ड्राइंविग परीक्षण प्रणाली विकसित की है जिसमें पक्षपात रहित और पारदर्शी डाटा और रिपोर्टें सृजित करने के लिए वीडियों और शिकायतों के समाधान यदि कोई हों, करने के लिए पूर्ण बैकअप युक्त ड्रांइविग परीक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था है।

- इसी प्रकार की प्रणाली को सीआईआरटी द्वारा चंडीगढ़ में भी स्थापित किया जा रहा है। अनेक राज्यों ने भी लाइसेंस की मांग करने वालों को प्रभावी और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लाभदायक इस प्रणाली को कार्यान्वित करने में अभिरूचि दिखाई है।

- यह प्रणाली 20 लाख रू. प्रति ट्रैक (जो ट्रैक की लम्बाई–चौड़ाई पर निर्भर है) बहुत ही कम कीमत पर स्थापित की गई है।

- मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से सटी विभिन्न सुविधाओं के बारे में सड़क प्रयोक्ताओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयोक्ता अनुकूल सड़क किनारे सुविधाएं स्थापित की जाएं।

- प्रस्तावित सड़क किनारे सुख–सुविधाओं में पार्किंग (कारों, बसों, ट्रकों के लिए), अच्छी गुणवता का भोजन प्रदान करने के लिए रेस्टोरेंट/फूड कोर्ट, कम कीमत के ढ़ाबा, टेलीफोन बूथ/वाई–फाई, एटीएम, ईंधन केंद्र, छोटी–छोटी मरम्मत की दुकानें, अल्प ठहराव के लिए रेस्ट रूम, महिलाओं और पुरूषों के लिए टायलेट, विभिन्न मदों की बिक्री के लिए कियोस्क, चिकित्सा सहायता और कैमिस्ट की दुकान, हेलिपैड सुविधाएं होंगी।

- ये सुख–सुविधाएं गरीबों और किसानों, दोनों के पक्ष में परिकल्पित हैं क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और छोटे और सीमांत किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए यह सक्षम होगा।

- आईएचएमसीएल, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन एक कंपनी है, को राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क किनारे सुख–सुविधाओं को विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।

- सड़क किनारे सुख–सुविधाओं के लिए MyGov प्लेटफार्म के माध्यम से उपयुक्त लोगो और ब्रांड नेम के लिए सामान्य जन से प्रविष्टियां भी आमंत्रित की गई हैं। प्रत्युंत्तर उत्साहवर्धक रहे हैं। ब्रांड नेम और लोगो को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सड़क किनारे सुविधाओं से संबंधित माडल की स्थापना करने के लिए 10 स्थानों की पहचान कर ली गई है। सड़क किनारे सुविधाओं से संबंधित माडल का निर्माण जून, 2015 से शुरू हो जाएगा।

- इसे शुरू करने के लिए ऐसे 60 स्थानों की पहचान पहले से ही कर ली गई है।

ई–रिक्शा–अंतिम छोर तक वहनीय सड़क संपर्कता

ई–रिक्शा वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों सहित लाखों सवारियों को अंतिम छोर तक की वहनीय सड़क संपर्कता प्रदान करता है। इनसे असंख्य व्यक्तियों, जो मैनुअली रिक्शा चलाते थे, विद्युत चालित तिपहिया वाहन चलाने लगे हैं, को भी रोजगार मिला है। ई–रिक्शा/ई–कार्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार अधिसूचित की गई हैं:–

ग) ई–रिक्शा/ई–कार्ट के ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि जारी किए जाने की तारीख से अथवा ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता तक, जो भी पहले हो, 3 वर्ष से अनधिक वैध है।

घ) ई–रिक्शा/ई–कार्ट के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की अवधि 3 वर्ष है।

क) इस प्रकार का वाहन ड्राइवर को छोड़कर 4 से अनधिक सवारियों को और कुल 40 किलोग्राम से अनधिक सामान ले जाने के लिए अलग से लोड बाडी अथवा कम्पार्टमेंट जिसका ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम भार 310 किमी होता है, के लिए निर्मित किया गया है अथवा अपनाया गया है।

ख) इसके मीटर का निवल पावर 2000 वाट से अधिक नहीं है और इस वाहन की अधिकतम स्पीड 25 किमी प्रति घंटा से अनधिक है।

ङ.) 25–25 किलोग्राम वजन के 2 सामानों के साथ इन रिक्शों में 4 व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति है।

च) इसकी समग्र चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी और इसकी समग्र लम्बाई 2.8 मीटर से अधिक नही होगी।

छ) इसकी समग्र ऊचांई 1.8 मीटर से अधिक नहीं होगी।

ज) ई–रिक्शा/ई–कार्ट विनिर्धारित क्षेत्रों/रूटों पर चलाए जाएंगे।

- नई दिल्ली में इलैक्ट्रिक रिक्शा चालकों की रैली को संबोधित करते हुए मंत्री ने मोटरयान अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से 65 वाट से नीचे के पावर वाले ई–रिक्शों को हटाने सहित कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की घोषणा की।

- श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी हटाने और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

- इन रिक्शों के ड्राइवर उनके मालिक ही होंगे और उन्हें 100 रू. की फीस देकर नगर निगम में अपने वाहनों को पंजीकृत कराना होगा और उन्हें एक आई–कार्ड प्राप्त करना होगा।

- मंत्रालय ने 'दीन दयाल ई–रिक्शा' नामक एक स्कीम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भेजा है।

- इन वाहनों के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिए जाएंगे। इस स्कीम का उद्देश्य मानव चालित रिक्शा के माध्यम से आदमी और सामान की ढुलाई की कार्य पद्धति को समाप्त करना है।

- ई–रिक्शा और ई–कार्ट को मान्यता देने के लिए मोटरयान अधिनियम (1988) के संशोधनों को संसद के दोनों सदनों द्वारा आम सहमति से पारित कर दिया गया है।

nded Pro ct (WBTA-
15th May, 201
abitat Cen
SH. NITIN ADKARI

प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

- हम सड़क निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और नई सामग्रियों के इस्तेमाल करने का समर्थन कर रहे हैं। इनसे लागत में बचत होगी और सड़कों की गुणवत्ता बढ़ेगी और सड़कें दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ होंगी।
- विश्व स्तरीय वाणिज्य प्रौद्योगिकियों को भारत में अपनाने की अनुमति दी गई है।
- सड़क निर्माण में व्यापक रूप से लौह स्लैग, मृदा स्टैबलाइजर जैसी सामग्रियों का प्रयोग किए जाने की अनुमति दी गई है।
- हमने सड़क निर्माण और सड़कों के वैश्विक मानकों को अपनाने और उनका अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है।
- ब्रिज–सह–बांध।
- हमने जहां कहीं भी संभव हो, नए पुलों को डिजाइन करने और निर्माण करने के समय इसमें बांधों के निर्माण को शामिल करने का निर्देश दिया है।
- पुल प्रभागों को, पुलों के डिजाइन के समय नदी/जल निकायों की नौवहनीयता को कायम रखना सुनिश्चित करने हेतु सलाह दी गई है।
- राजमार्गों के साथ जनोपयोगी महामार्ग विकसित किए जा रहे हैं।
- इन महामार्गों से डिजिटल भारत के लिए आप्टीकल फाइबर केबल, लौह कचरा, पानी, गैस का संवहन होगा और इनका इस्तेमाल विद्युत संचारण के लिए भी किया जा सकता है।
- इनसे अवसंरचना का उपयोग करने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

हरित पहलें

ईथनाल फ्यूल बस–मेक इन इंडिया

- मै. स्कैनिया कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया के दल ने 9 जुलाई, 2014 को यह बताया कि वे नागपुर में ईथनाल सिटी बस का प्रचालन शुरू करना चाहते हैं। इस बस का प्रचालन शुरू करने की प्रक्रिया आगामी सप्ताह में ईंधन की उपलब्धता के अध्यधीन होगी। यह ईथनाल सिटी बस उच्चतम सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन स्तर भारत 5 ईईवी जो 70% कार्बन डाई आक्साइड घटाता है, को पूरा करती है।

- ईथनाल और बायो ईंधन का प्रयोग करने वाली ईथनाल सिटी बस का भारत में प्रचालन किए जाने के लिए मै. स्कैनिया कामर्शियल व्हीकल्स इंडिया प्रा. लि. बंगलुरू से प्राप्त अनुरोध को माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

- एआरएआई ने नागपुर में बस का निरीक्षण किया है और उपलब्ध रिपोर्टों की जांच की है तथा सत्यापित किया है कि यह बस केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में यथा निर्धारित सड़क उपयुक्तता की आवश्यक शर्तों को पूरा करती है।

- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 52 और धारा 110 के अंतर्गत मै. स्कैनिया कामर्शियल व्हीकल्स को मंजूरी दी गई थी।

- मंत्रालय ने नियम 115डी को अधिस्थापित करके केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया, जो फ्लैक्स ईथनाल फ्यूल व्हीकल्स के संबंध में तकनीकी विनिर्देशन प्रदान करेगा।

- दिनांक 10.12.2014 को सा.का.नि. 882(अ) के तहत मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी।

मंत्रालय ने लचीली बिटुमन सड़कों के बजाए ठोस कंक्रीट सड़कें निर्मित किए जाने का निर्णय लिया था। इन कंक्रीट सड़कों से आजीवन लागत कम होगी और टिकाऊपन भी संवर्धित होगा।

लागत में और कमी लाए जाने के लिए मंत्रालय ने सीमेंट दर संविदाओं के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किया है। इसका परिणाम काफी प्रोत्साहक है।

जल संरक्षण और अवसंरचना के बेहतर उपयोग के लिए मंत्रालय ने सड़कों पर जहां कहीं संभव हो, पुल सह बांध बनाए जाने का निर्णय लिया है।

मंत्रालय ने राजमार्गों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटे जाने की बजाए जहां कहीं संभव हो प्रतिरोपित किए जाने का निर्णय लिया है।

पूरे देश में पथकर संग्रहण के लिए सोलर पावर पथकर प्लाजाओं को अनिवार्य बनाने की परिकल्पना की गई है।

पुल प्रबंधन हेतु केन्द्र–
राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को बचाने का प्रभावी मार्ग

- हमने नोएडा स्थित अपने राजमार्ग अभियंता संस्थान में पुल प्रबंधन के लिए केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- हमने अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए कतिपय पहल की है।
- हमारे पास आईटी आधारित पुल प्रबंधन प्रणाली है।
- विगत 2 महीनों में सिस्टम के सभी संघटकों पर कार्य को व्यवस्थित किया गया है और 2015 में कार्य आरंभ हो जाएगा।
- अनुरक्षण में कमी के कारण 5% की मामूली कटौती है, संरक्षण के लिए अपेक्षित राशि से हानि कहीं अधिक है।
- हमारी मूल्यवान परिसम्पत्तियों को खोने की कोई आर्थिक मंशा नहीं हैं। प्रतिवर्ष कुछ मिलियन खर्च करके हमारा मंत्रालय अरबों रूपयों की राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों की बचत सुनिश्चित करेगा।
- आने वाले वर्षों में इस परियोजना हेतु पुल अभियांत्रिकी भाईचारे से क्षमता संवर्धन की आवश्यकता होगी और देश में एक लाख लोगों से अधिक के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा होंगे।
- इससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक बेहतर आपदा प्रबंधन किया जा सकेगा क्योंकि हमारे आईबीएमएस आपदा प्रबंधन दलों के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण साधन होंगे।
- भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) की मुख्य विशेषताएं:
- भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) पर मंत्रालय का पूर्णतः स्वामित्व है तथा यह विश्व में ऐसी प्रणालियों में से 17वीं प्रणाली है। इसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगीः–
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी पुलों की वस्तुसूची
- भारतीय सड़क कांग्रेस विशेष प्रकाशन संख्या 35 के अनुसार पुलों का वर्गीकरण
- वर्गीकरण संबंधी विवरण के साथ इस आंकड़े का डाटाबेस
- विभिन्न परामर्शी पुल इंजीनियरों द्वारा क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने के लिए आईबीएमएस के अंतर्गत किए जाने हेतु ऑटोमेटिड निरीक्षण एवं जांच हस्तक्षेप।
- पुर्नस्थापना और रेट्रोफिटिंग की तकनीकी अपेक्षाओं को निर्धारित करने के लिए पुल संबंधी आंकड़ों का प्रबंधन
- पुल की सेवा अवधि में अपेक्षित सुधारात्मक एवं आवश्यक अनुरक्षण के निर्धारण की परिभाषा।
- हमारे मंत्रालय की इस पहल से पुल इंजीनियरों, पुल ठेकेदारों और पुनर्स्थापना उद्योग के लिए रोजगार उत्पन्न होंगे।
- एक बार बीएएमपी शुरू हो जाएं और कार्य प्रारंभ हो जाएं, ठेकेदार और पुनर्स्थापना संबंधी विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी कि हमारे देश में पुल संबंधी सभी परिसम्पत्तियों को पर्याप्त स्वीकार्य दर्जा प्राप्त है।

NISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI
MEETING
OF
CHIEF MINISTERS AND PWD MI TERS
OF
ORT EASTE REGIO NCLU KKIM

राज्यों को साथ में लेना

प्रगति के पथ पर सतत् प्रयास और हमारे देश के विकास की ओर अग्रसर रहने में राज्यों को साथ लेकर चलना मुख्य कारक एवं पहल रही है।

INDIA - US
SIGNING OF MEMORANDUM OF COOPERATION

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और जापान के भूमि, अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के बीच 1 सितम्बर, 2014 को एक फ्रेमवर्क ऑफ को–ऑपरेशन (एफओसी) पर हस्ताक्षर किए गए।

- इस एफओसी से सड़क परिवहन और राजमार्गों के क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

- काठमांडू में सार्क समझौते से हटकर 25 नवम्बर, 2014 को भारत गणराज्य सरकार और नेपाल सरकार के बीच यात्री यातायात विनियमन के लिए द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। सहमति प्राप्त एक रूट पर दैनिक आधार पर अर्थात काठमांडू–बैरहवा–सौनौली–गोरखपुर–लखनऊ–नई दिल्ली के लिए 25.11.2014 को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों द्वारा काठमांडू–दिल्ली बस सेवा का उद्घाटन किया गया और इसी प्रकार नई दिल्ली से मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा इस सेवा को हरी झंडी दी गई। सहमति प्राप्त एक रूट अर्थात वाराणसी–आजमगढ़–सौनौली–बैरहवा–काठमांडू

पर 4 मार्च, 2015 को वाराणसी से और इसी प्रकार 5 मार्च, 2015 को काठमांडू से काठमांडू–वाराणसी सेवा का उद्घाटन किया गया।

- इस करार से दोनों देशों के बहुकालीन संबंध मजबूत होंगे तथा लोगों के निर्बाध और निरंतर आवागमन को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यटन एवं लोगों के बीच सीधे संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा।

- दिसम्बर, 2014 में भारत और बांग्लादेश के शिष्टमंडलों द्वारा शिलांग होते हुए गुवाहटी–ढाका रूट पर बस सेवा शुरू करने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण किया गया।

- प्रस्तावित बस सेवा से भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क बेहतर होगा तथा द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे।

- विस्तृत विचार करने के पश्चात भारत और म्यांमार, इंफाल और मंडाले के बीच बस सेवा शुरू करने पर सहमत हो गए।

- जून, 2014 में भारत और म्यांमार के शिष्टमंडलों के प्रतिनिधियों द्वारा इम्फाल, मणिपुर से म्यांमार में मंडाले तक बस सेवा शुरू करने के लिए मसौदा करार और प्रोटोकोल की कार्रवाई शुरू की गई। 11–15 जनवरी, 2015 को दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा रूट का संयुक्त तकनीकी निरीक्षण किया गया।

- करार को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात दोनों देशों के बीच यात्री वाहनों का निर्बाध आवागमन होगा तथा बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित होंगे।

- बीबीआईएन मोटर यान करार के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के परिवहन सचिवों की उप–क्षेत्रीय स्तर की बैठक 2–3 फरवरी, 2015 को रायचक, कोलकाता में आयोजित हुई थी जिसमें चारों देशों के बीच यात्री, निजी और कार्गो वाहन यातायात के नियमन के लिए मोटर यान करार के शीर्षक से एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क करार पर सर्वसम्मति बनी।

- इस करार से 4 देशों को आर्थिक महामार्गों से जोड़ते हुए परिवहन महामार्गों के परिवर्तन में मदद मिलेगी तथा सीधे जनसंपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

- बीबीआईएन मोटर यान करार के मूल पाठ को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा यह निर्णय लिया गया है कि जून, 2015 में परिवहन मंत्रियों की एक बैठक के दौरान इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व संबंधित देश आंतरिक अनुमोदन ले सकेंगे।

- यह करार, बीबीआईएन के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने तथा द्वीपक्षीय/बहुपक्षीयकरण को बढ़ावा देने में लंबा रास्ता तय करेगा। इससे सीधे जन संपर्क, व्यापार और उप–क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

- इन तीन देशों के बीच यात्री और कार्गो वाहन आवागमन को बढ़ावा देने के लिए बीबीआईएन मोटर यान करार की तर्ज पर भारत, म्यांमार और थाईलैंड में एक मोटर यान करार को आगे बढ़ाने के लिए उपाय शुरू किए गए हैं।

- एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क करार पर पहुंचने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल से भारत, म्यांमार और थाईलैंड के परिवहन सचिवों की एक बैठक दिनांक 18.4.2015 को चेन्नई में आयोजित की गई थी।

- जबकि ड्राफ्ट करार पर व्यापक सहमति थी, करार को अंतिम रूप दिए जाने के लिए 3 सचिवों की दूसरी बैठक जून, 2015 में आयोजित किया जाना अनंतिम रूप से तय है।

- इस करार से दक्षिणी और दक्षिण–पूर्वी एशिया में संवर्धित इंटर–क्षेत्रीय और इंट्रा–क्षेत्रीय व्यापार और राज्य को मार्ग मिलेगा तथा इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों का सृजन हो सकेगा।

सार्क देशों के बीच मोटरवाहन करार के संबंध में विशेषज्ञ दल

- सार्क देशों के बीच मोटर वाहनों से संबंधित मसौदा क्षेत्रीय करार को अंतिम रूप देने के संबंध में 7–8 सितम्बर, 2014 को नीमराना (राजस्थान) में विशेषज्ञ दल की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी।

- दल ने मसौदा करार के प्रत्येक खंड की पाठ्य सामग्री पर विचार किया और कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया जिसे आम सहमति से मान लिया गया।

- सदस्य देशों की टिप्पणियों के साथ अंतिम रूप प्राप्त मसौदा करार 30 सितम्बर, 2014 को सार्क सचिवालय द्वारा परिवहन से संबंधित अंतरशासकीय दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें मसौदा करार का अंतिम रूप प्राप्त रूपांतर पृष्ठांकित था। इस करार में सदस्य देशों के लिए अन्य सदस्य देशों के भू–भाग में करार की विभिन्न निबंधन और शर्तों के अध्यधीन कार्गों और यात्रियों के परिवहन के लिए वाहन संचालन की अनुमति देने और करार में निर्धारित प्रोटोकोल और प्रक्रिया विधियों के अनुसार सदस्य देशों से इस प्रकार के परिवहन की अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था है।

भारत–अमेरिका परिवहन भागीदारी के संबंध में सहयोग ज्ञापन

- भारत–अमेरिका दोनों देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विचार पर चर्चा करने के लिए 8 अप्रैल, 2015 को परिवहन भवन, नई दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के परिवहन मंत्री, श्री एंथेनी फाक्स की अगुवाई में अमेरिकन शिष्ट मंडल ने सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत मंत्री, श्री नितिन गड़करी की अगुवाई में भारतीय शिष्ट मंडल से मुलाकात की।

- सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत मंत्रालय और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से गठित भारतीय शिष्ट मंडल ने अमेरिकन शिष्ट मंडल के साथ निष्कर्षपूर्ण चर्चा की।

- दोनों पक्षों ने जनवरी, 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए संयुक्त बयान, जिसमें दोनों नेताओं ने रेलवे के संबंध में तकनीकी सहयोग और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने सहित जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर देने तथा विभिन्न भारतीय और अमेरिकी सरकारी एजेंसियों, परिवहन मंत्रालय के साथ विभागों और मंत्रालयों के बीच यहयोगी प्रयास किए जाने पर बल दिए जाने का स्वागत किया।

- बैठक के पश्चात भारत–अमेरिकन ट्रांस्पोर्टेशन के लिए एक नया सहयोगी तंत्र स्थापित करने के लिए रेलवे, सड़क परिवहन और राजामार्ग तथा पोत मंत्रालय की ओर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा अमेरिकी परिवहन मंत्री के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

INDIA - US
SIGNING OF MEMORANDUM
COOPERATION

INDIA - US

लक्ष्य और उपलब्धियां

ठेके पर दी गई परियोजनाएं

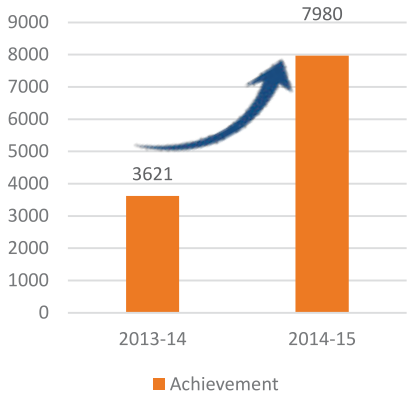

निर्मित परियोजनाएं

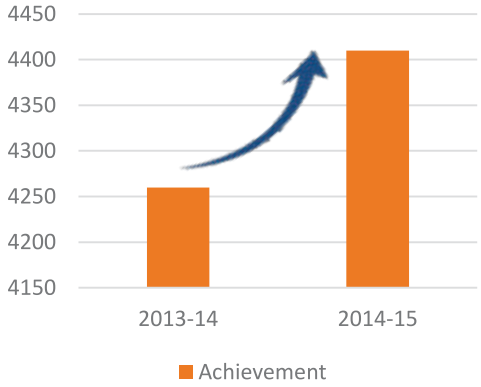

2014–15 में एनएचआईडीसीएल द्वारा ठेके पर दिए गए कार्य

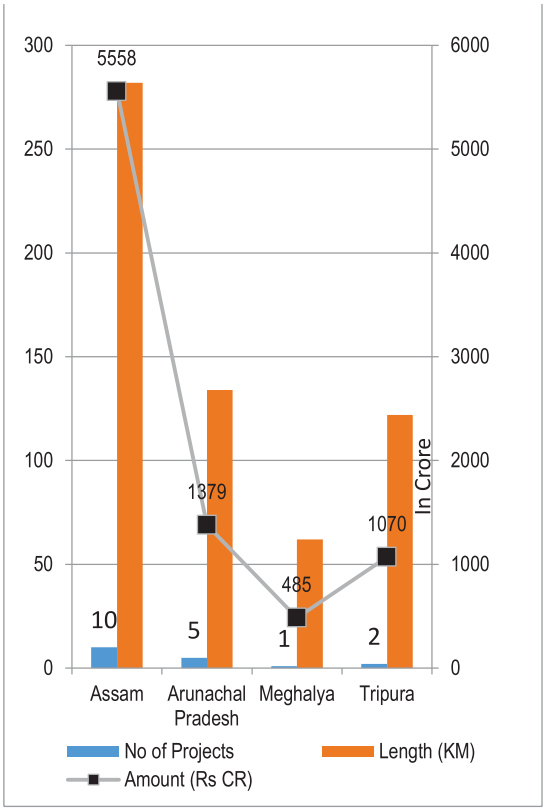

विभिन्न राज्यों के लिए 2014–15 के दौरान 49 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। ब्यौरा वेबसाइट www.morth.nic.in पर उपलब्ध है।

पिछले वर्ष के दौरान पीपीपी मोड में राजमार्ग परियोजनाओं का पुनरूद्धार

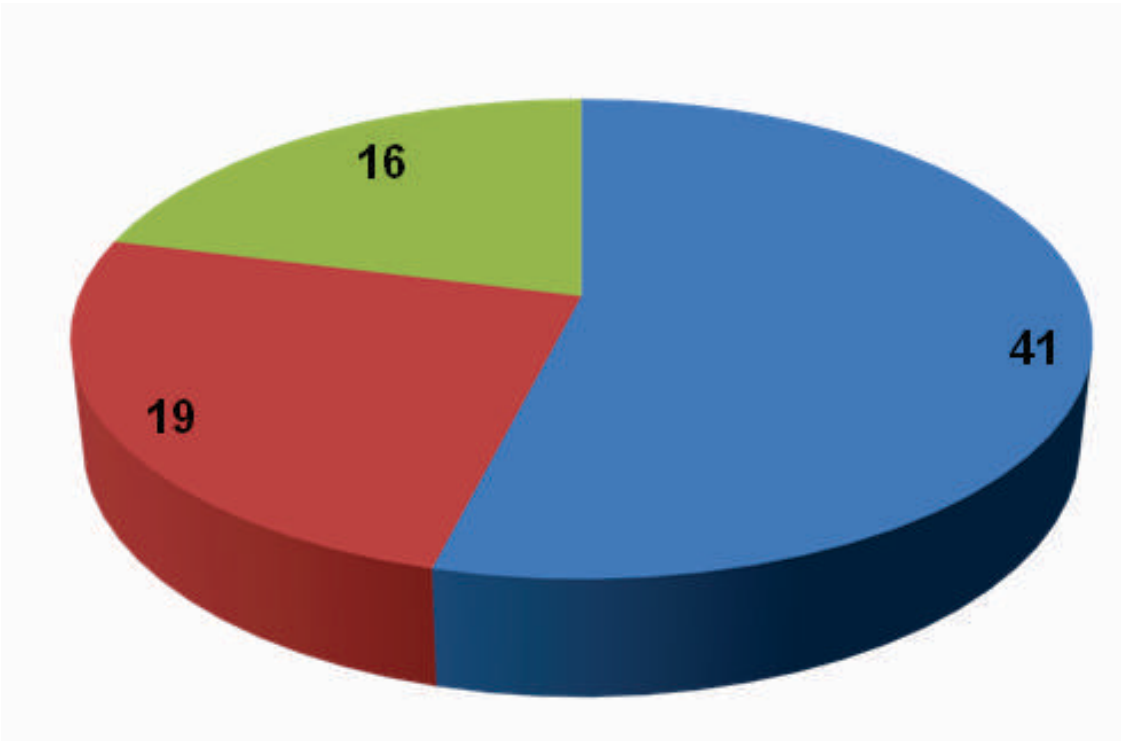

- निरस्त की गई और पुनःनिविदा आमंत्रित करना
- परियोजनाएं, जिनमें समस्याओं का समाधान किया गया
- समाधान किए जाने वाले मुद्दे

वर्ष 2015–16 के लिए लक्ष्य और नए कार्यक्रम

- ठेके पर दिए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (किमी) – 10000
- निर्मित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (किमी) – 6300
- संग्रहीत किया जाने वाला पथकर (करोड़ रु. में) – 6500
- पथकर के अंतर्गत आने वाली अतिरिक्त सड़क लंबाई (किमी) – 2180

भारत माला परियोजना

भारत के पास 15,200 किमी की भू–सीमा (फ्रंटियर) और लगभग 7,500 किमी की तटीय–सीमा (कोस्ट लाइन) है। कूटनीतिक महत्व को देखते हुए सीमा के साथ–साथ दूरदराज के स्थानों के साथ सभी मौसमों में सड़क संपर्क होना और तटीय रेखा के साथ–साथ बंदरगाहों को खाली करने को सुकर बनाने हेतु सड़क संपर्क होना अनिवार्य है। बार्डर और तटीय सीमा के साथ–साथ सड़कों के उन्नयन हेतु लगभग 5,500 किमी की राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। बार्डर के साथ इन सड़कों की कूटनीतिक अवस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यारपार और तटीय रेखा के साथ बंदरगाहों के लिए सड़क संपर्क सुधारने की दृष्टि से सड़कों का उन्नयन लाभकारी होगा।

मंत्रालय ने इस कार्यक्रम में आरओबी और आरयूबी के निर्माण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी प्रकार की क्रासिंगों को हटाने की योजना बनाई है।

इसे प्राप्त करने के लिए, लगभग 214 आरओबी/आरयूबी के लिए राज्य–वार परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं जिनमें से मंत्रालय 2015–16 के दौरान निर्माण के लिए लगभग 100 आरओबी/आरयूबी स्वीकृत करेगा/ठेके पर देगा। शेष आरओबी/आरयूबी 2016–17 के दौरान स्वीकृत करेगा/ठेके पर देगा।

जहां तक पुलों का संबंध है, मंत्रालय ने लगभग 1500 कमजोर/जर्जर पुलों की पहचान की है जिनके लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। मंत्रालय का 2015–16 के दौरान 50 प्रमुख पुलों और 2016–17 में अन्य प्रमुख पुलों की स्वीकृति देने का लक्ष्य है।

इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक बड़े आकार एवं अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन सुप्रवाही बनाने में सहायता मिलेगी और बदले में भारी उद्योग के विकास एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सहायता प्राप्त होगी।

इसके साथ–साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी पुलों के वर्ष में दो बार सर्वेक्षण के कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इससे सेतु भारतम् कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक निर्माण ढांचे की स्थिति और शुरू की गई ब्रिज परियोजनाओं की पहचान करने और प्राथमिकताएं निर्धारित करने के संबंध में यथासमय जानकारियां उपलब्ध होंगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोक्ता परियोजना (जिला संपर्क)

वाहनों की भारी मांग को पूरा करने तथा लोगों की उच्च गुणवत्ता और उच्च गति वाली सड़कों की इच्छा को पूरा करने के लिए देश में सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार आवश्यक समझा गया था। तदनुसार, लगभग 11,800 किमी राज्यीय सड़कों को जिला संपर्क के अंतर्गत और सामरिक महत्व के अंतर्गत कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। इन सड़कों में से, 6,200 किमी को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) में लगभग 2,200 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। शेष लंबाई का डीपीआर वर्ष 2015–16 में तैयार किया जाएगा।

पिछड़े क्षेत्रों की सम्पर्कता

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के सड़क संपर्क का संबंध है, संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत छूट गए क्षेत्रों सहित सेवाओं से वंचित रहे पिछड़े क्षेत्रों को सड़क संपर्क के अभिनिर्धारण के लिए एक कार्यक्रम तैयार

किया गया है। तदनुसार, लगभग 2,500 किमी की राज्यीय सड़कों का अभिनिर्धारण किया गया है जिनमें से लगभग 500 किमी को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत शीघ्र ही शेष लंबाई को सम्मिलित कर लिया जाएगा।

धार्मिक और पर्यटन स्थल संपर्क

देश में पर्यटन, धार्मिक तीर्थस्थलों के प्रमुख केन्द्रों के लिए संपर्क होना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार, धार्मिक और पर्यटन स्थल संपर्क के अंतर्गत चुनिंदा खंडों का अभिनिर्धारण किया गया है। लगभग 3,500 किमी की राज्यीय सड़कों का अभिनिर्धारण किया गया है जिनमें से लगभग 900 किमी को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत शेष लंबाई को सम्मिलित कर लिया जाएगा।

हमारा विज़न सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ हरित सड़क नेटवर्क सृजित करने का है

सत्यमेव जयते

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

भारत सरकार Government of India

सत्यमेव जयते

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

भारत सरकार

Government of India

flagscom.in